

नोट

विषय: 'ओपेन अदालत' का आयोजन ।

मंडल स्तर पर छपरा, मऊ एवं मंडुवाडीह स्टेशनों पर 'ओपेन अदालत' आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जिसके माध्यम से कर्मचारी के परिवादों को निस्तारण किया जायेगा अथवा निस्तारण न होने के स्थिति में कर्मचारी के प्रतिवेदनाओं का सकारण प्रत्युत्तर दिया जायेगा ।

अतः सम्बन्धित बीट निरीक्षक को निर्देशित किया जाय कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें एवं अपने-अपने बीट के कर्मचारियों के परिवादों का संग्रह कर सम्बन्धित अनुभाग में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराकर उसका output बतायें । ओपेन अदालत हेतु चयनित स्टेशन, नामित अधिकारी, तिथि आदि निम्नवत् प्रकार से निर्धारित की जाती है :-

ओपेन अदालत हेतु चयनित स्टेशन	नामित अधिकारी	परिवाद संग्रह करने की अवधि	कर्मचारी के प्रतिवेदनाओं का संग्रह-कर्त्ता	ओपेन अदालत की तिथि
छपरा	DPO	21 दिन	सम्बन्धित बीट निरीक्षक	05.11.15
मऊ	APO/NG	21 दिन	सम्बन्धित बीट निरीक्षक	05.11.15
मण्डुवाडीह	APO/G	21 दिन	सम्बन्धित बीट निरीक्षक	06.11.15

मंकाधि/समन्वय
दि. 23.9.15

मंकाधि, सकाधि/अराज, सकाधि/सा.

(सं.-का/एसएस/वमंकाधि/विविध/पत्राचार, दिनांक 23.9.15)

प्रतिलिपि :-

1. मंडल मंत्री/नरमू, ओबीसी एसो., एवं अजा-अजजा एसो. :- कृपया उपरोक्त आयोजन के बारे में अपने स्तर पर कर्मचारियों में प्रचार-प्रसार करवाने का कष्ट करें ।
2. अमंरेप्र/मंरेप्र महोदय को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सम्बन्धित बीट निरीक्षक ।

मंकाधि/सम/वाराणसी